न्यायालय अपर कलेक्टर, एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
(सूचना का अधिकार अधि.) जिला–धमतरी, छत्तीसगढ़

प्रथम अपील प्रकरण कमांक 01/2021
ग्राम धमतरी तहसील व जिला धमतरी

अपीलार्थी श्री सी. के. चन्द्राकर सचिव छ.ग.
तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ धमतरी .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी
जिला पंचायत धमतरी ....उत्तरवादी

आदेश
(पारित दिनांक 4/2/2021)

अपीलार्थी श्री सी. के. चन्द्राकर सचिव छ.ग. तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ धमतरी द्वारा श्री प्रवीण साहू व्याख्याता पंचायत से संबंधित निम्नांकित जानकारी की मांग की गई थी :–

1– प्रवीण कुमार साहू व्याख्याता (पंचायत) के पदोन्नति पद के विरूद्ध वरीष्ठता सूची
2– श्री प्रवीण कुमार साहू व्याख्याता (पंचायत) के पदोन्नति हेतु बंद लिफाफा खोला जाकर की गई विधिवत कार्यवाही
3– श्री प्रवीण कुमार साहू व्याख्याता (पंचायत) के पदोन्नति किये जाने संबंधि बंद लिफाफा

2/ अपीलार्थी के अपील पत्र में यह बताया गया है कि उसे वांछित जानकारी न देकर निम्नानुसार गलत जानकारी दी गई :–

1– प्रवीण कुमार साहू से सम्बंधित उच्च न्यायालय का निर्णय की कॉपी दिया गया है।
2– जिला पंचायत सामान्य प्रशासन स्थायी समिति की बैठक दिनांक 11.09.2019 की कार्यवाही विवरण की कॉपी दिया गया है।
3– प्रवीण कुमार साहू का आवेदन पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु जांच समिति का गठन किया गया।
4– कार्या. जिला पंचायत धमतरी जांच समिति की बैठक दिनांक 03.10.2019 की कॉपी।
5– कार्या जिला पंचायत धमतरी के आदेश की कॉपी प्रदान किया गया है।

जनसूचना अधिकारी जिला पंचायत धमतरी द्वारा समय–सीमा में वांछित जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के कारण अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत की है। अतः जन सूचना अधिकारी से जवाब मंगाया गया ।

3/ जन सूचना अधिकारी के जवाब दिनांक 19.01.2021 की प्रति संलग्न है । जन सूचना अधिकारी के जवाब में यह बताया गया है कि अपीलार्थी को सूचना के अधिकार के तहत श्री प्रवीण कुमार साहू व्याख्याता पंचायत के संबंध में कार्यालयीन पत्र कमांक/स्था. सू.के. अधि/2020–21/ 5388 धमतरी दिनांक 05.12.2020 के माध्यम से पदोन्नति से संबंधित कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख अनुसार मान. उच्च न्यायालय की आदेश प्रति, जिला पंचायत सामान्य प्रशासन स्थायी समिति के कार्यवाही विवरण, जांच समिति का कार्यवाही विवरण तथा पदोन्नति आदेश की सत्यापित छायाप्रति प्रदाय की गई है।

4/ प्रकरण में विचारण किया गया । प्रकरण में प्रस्तुत जनसूचना अधिकारी के उक्त जवाब से यह ज्ञात होता है कि वांछित जानकारी उनके कार्यालय में नहीं है । प्रकरण के विधिक बिन्दु पर विचारण

किया गया । सूचना के अधिकार 2005 के उद्देशिका तथा अधिनियम की धारा 03 से यह प्रकट होता है कि सूचना प्राप्त करने का अधिकार सिटिजन (नागरिक) को है । जबकि जन सूचना अधिकारी के समक्ष छत्तीसगढ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संध के लेटर हैड में जानकारी हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत होना पाया गया । चूंकि छत्तीसगढ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संध की स्थिति एक संगठन की है अर्थात नागरिक नहीं है। अतः जन सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त विधिक प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए, अपीलार्थी के आवेदन का निराकरण करें ।

यह आदेश आज दिनांक 4/2/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पद मुद्रा से पारित किया गया।

अपर कलेक्टर न्यायालय धमतरी (छ.ग.)

(डी. के.अग्रवाल)
अपर कलेक्टर एवं
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
(सूचना का अधिकार अधिनियम)
जिला धमतरी (छ0ग0)

पृ.क. 62 / वाचक / अ.कले. / 2021 धमतरी दिनांक 4/2/ 2021

प्रतिलिपिः—

1— जन सूचना अधिकारी जिला पंचायत धमतरी जिला धमतरी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

2— अपीलार्थी श्री सी. के. चन्द्राकर सचिव छ.ग. तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ धमतरी (छ.ग.) को सूचनार्थ अग्रेषित ।

3. जिला सूचना केन्द्र धमतरी को जिला कार्यालय धमतरी के वेबसाइड मे अपलोड हेतु।

अपर कलेक्टर एवं
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
(सूचना का अधिकार अधिनियम)
जिला धमतरी (छ0ग0)

कार्यालय जिला पंचायत धमतरी, छत्तीसगढ़

क्रमांक / 209 /जि.पं./शि0प0स्था./2020–21 धमतरी, दिनांक 19.01.2021

प्रति,

अपर कलेक्टर एवं
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी,
(सूचना का अधिकार अधिनियम)
जिला धमतरी (छ.ग.)

विषय :– सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् जानकारी प्रदाय नही किये जाने पर प्रथम अपील बाबत्।

संदर्भ :– आपका ज्ञापन क./09/वाचक/अपर.कले./2021/धमतरी दि. 06.01.2021

—0:0—

विषयान्तर्गत उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से अपीलार्थी श्री सी.के.चंद्राकर सचिव छ.ग.तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ धमतरी द्वारा निम्नानुसार बिन्दुओं पर गलत जानकारी उपलब्ध कराये जाने के संबंध में प्राप्त प्रथम अपील से संबंधित प्रत्युत्तर दिनांक 19.01.2021 को समय 2.00 बजे तक प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है :–

01. श्री प्रवीण कुमार साहू व्याख्याता (पंचा.) के पदोन्नति पद के विरूद्ध वरिष्ठता सूची।
02. श्री प्रवीण कुमार साहू व्याख्याता (पंचा.) के पदोन्नति हेतु बंद लिफाफा खोले जाकर की गई विधिवत् कार्यवाही की जानकारी।
03. श्री प्रवीण कुमार साहू व्याख्याता पंचा. के पदोन्नति किये जाने संबंधी बंद लिफाफा संबंधी प्रशासनिक कार्यवाही।

तद्संबंध में लेख है कि अपीलार्थी को सूचना के अधिकार के तहत श्री प्रवीण कुमार साहू व्याख्याता पंचायत की पदोन्नति के संबंध में कार्यालयीन पत्र कमांक/स्था.सू.के. अधि/2020–21/5388 .धमतरी दिनांक 05.12.2020 के माध्यम से पदोन्नति से संबंधित कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख अनुसार मान.उच्च न्यायालय की आदेश प्रति, जिला पंचायत सामान्य प्रशासन स्थायी समिति के कार्यवाही विवरण, जांच समिति का कार्यवाही विवरण तथा पदोन्नति आदेश की सत्यापित छायाप्रति प्रदाय की गई है।

उपरोक्तानुसार बिन्दुओं के संबंध में लेख है कि श्री प्रवीण कुमार साहू के विषय समूह अन्तर्गत कनिष्ठ शिक्षकों की पदोन्नति पूर्व में ही हो जाने के कारण पृथक से वरिष्ठता सूची तैयार नही की गई है, एवं तत्समय पदोन्नति हेतु किसी प्रकार के बंद लिफाफा तैयार करने की कार्यवाही नही की गई थी, मान.उच्च न्यायालय बिलासपुर के पारित आदेश के अनुपालन में सामान्य प्रशासन स्थायी समिति एवं पदोन्नति हेतु गठित जांच समिति के अनुशंसा के आधार पर पदोन्नति की कार्यवाही की गई है।

कृपया प्रथम अपील प्रकरण के संबंध में जानकारी कृपया अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

19.1.21

जनसूचना अधिकारी
जिला पंचायत धमतरी (छ.ग.)

O/c